न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **50/21 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/340

1. पन्नालाल पिता जयचन्द जी जाति जाट उम्र 70 वर्ष, निवासी सालेरा खुर्द, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. गुलाबी बाई पत्नी लालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) (तर्क किया)
2. जानीबाई पुत्री लालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. राजेश पिता स्व. भुरालाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. अजय पिता स्व. भुरालाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. नीतु पुत्री स्व. भुरालाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
6. राजु पत्नी स्व. भुरालाल जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
7. मांगीलाल पिता लालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
8. माधवलाल पिता लालू जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
9. पुष्पाकुमारी पुत्री लालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
10. भगवानलाल पिता डालु जी जाति जाट, उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

10/1–श्रीमती बदामी पत्नी भगवानलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

10/2–श्री राधेश्याम पुत्र भगवानलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

10/3–श्री कैलाश पुत्र भगवानलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

10/4–श्रीमती केसर पुत्री भगवानलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

11. रामेश्वरलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला–उदयपुर (राज०)
13. पटवारी पटवार हल्का मावली जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 8।
3. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 10/1 से 10/4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गाडरियावास, पटवार क्षेत्र मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 4002/307 रकबा 1.0684 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम 7/30 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सेनुसार इन्द्राज है। आराजी नम्बर 306 रकबा 0.5827 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1, 2, 7, 8 एवं खातेदार भुरालाल पुत्र लालु जाट के प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से एवं आराजी नम्बर 4001/307 रकबा 0.5666 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 9 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 10 के नाम 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 11 के नाम 3/8 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से अंकित हैं। खातेदार भुरालाल पुत्र लालु जाट का निधन हो चुका हैं जिसके वारिस विपक्षी संख्या 3 से 6 हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का सभी सहखातेदारान के मध्य आपसी बंटवाड़ा किया हुआ है जिससे आराजी नम्बर 4002/307 सम्पूर्ण मुझ प्रार्थी के हिस्से पांती में आई है जिस पर मैं प्रार्थी वर्षों से काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और वर्तमान में भी मेरे उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते (डामर रोड) के सटमा दक्षिणी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 8 की आराजी नम्बर 306 के पश्चिमी भाग एवं विपक्षी संख्या 9 से 11 की आराजी नम्बर 4001/307 के पश्चिमी भाग की भूमि पर 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जिससे होकर मेरे पूर्वज एवं मैं प्रार्थी हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आते जाते रहे है तथा इसी आराजीयात की भूमि पर बने रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा मेरी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी के पास उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये विपक्षीगण की कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 11 द्वारा आपस में मिलीभगत कर हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते को जोर जबरदस्ती ट्रेक्टर से हांक कर अपनी जमीन में मिलाकर बाड़ बना दी और रास्ते को अवरूद्ध कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नही मान रहे है। विपक्षी संख्या 1 से 11 द्वारा उक्त रास्ते को हाक कर व बाड़ बनाकर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्राथीं अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहा हूँ और न ही अपनी जमीनो की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहा हूँ।

5. यह कि वर्तमान में मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता मुख्य रास्ते (डामर रोड़) के सटमा दक्षिणी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 8 की आराजी नम्बर 306 के पश्चिमी भाग एवं विपक्षी संख्या 9 से 11 की आराजी नम्बर 4001/307 के पश्चिमी भाग की भूमि पर ही है और वर्तमान में भी मुझ प्रार्थी के लिये अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने जाने के लिये सुगमता पूर्वक यही मार्ग हैं। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मुझ प्रार्थी ने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 11 को आराजी नम्बर 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर स्थित रास्ते में उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 11 ने रास्ते देने से साफ इन्कार कर दिया और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजनों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से विपक्षी संख्या 1 से 11 की खातेदारी की आराजी के पश्चिम भू भाग पर बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौडाई का रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा / जमा कराने को तैयार हूँ। मुझ प्रार्थी की जमीनो तक पहुंचने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 11 की आराजी 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर 15 फीट चौड़ा मार्ग विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 से 11 की आराजी भूमि में विधिक रूप से मार्ग कायम करना इसलिये भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 11 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते एवं मेरी भूमियो के एकदम मध्य (सटमा) और निकट है। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 11 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नही होगी। बल्कि मार्ग कायम नही करने से मैं प्रार्थी मेरी कृषि भूमि में आवागमन नही कर सकूंगा और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohadit
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

सदैव के लिये मेरी जमीनो के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावुंगा जिससे मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नही होगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित भी होग। सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.08.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 11 ने आराजी नम्बर 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर बने रास्ते को ट्रेक्टर से हाककर अपनी जमीन में मिलाकर बाड़ बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया जिसपर मुझ प्रार्थी ने आराजी नम्बर 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर स्थित रास्ते से मेरी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने हेतु एवं मेरी कृषि भूमि तक पहुँचने के लिये आराजी नम्बर 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर विधिक रूप से रास्ता देने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 1 से 11 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 11 की खातेदारी की आराजी नम्बर 306, 4001/307 के पश्चिमी भू भाग पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई मे) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में ष्रास्ताष के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 12, 13 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 11 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 11 प्रार्थी को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियो में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नहीं, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5, 10/1 से 10/4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 9, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 1 फौत हो जाने तथा विपक्षी संख्या 1 के वारिस पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pushadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 3, 4, 6, 7, 8 द्वारा अस्वीकार कर जवाब पेश करते हुए निवेदन किया आराजी नं. 306 एवं आराजी नं. 4001/307 दोनो के अलग अलग खाता सं. है। वादी स्वयं सिद्ध करावे कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादी अकेला किस तरह काबिज है एवं शेष संयुक्त खातेदारान् को कौनसी भूमि बंटवाडे में दी गई। क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का विधिक बंटवाड़ा नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया कि अन्य खातेदार को कौनसी कृषि भूमि दी गई है और वे किस तरह से अपनी जमीन पर आ जा रहे है। प्रार्थी या अन्य किसी का कभी भी हम विपक्षीगण की भूमि में से कोई रास्ता विधमान नही रहा। प्रार्थी जानबूझकर हम विपक्षी को तंग परेशान कर हम विपक्षीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि से रास्ता चाह रहा है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी एवं हम विपक्षीगण के अन्य पड़ौसी खातेदारान् के पास में ही आराजी नं. 310 किस्म रास्ता की भूमि में होकर सभी खातेदारान अपनी अपनी आराजी में सदीप से आराजी नं. 310 से होकर ही आते जाते रहे है एवं कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थी या अन्य कोई भी कभी भी हम विपक्षीगण की खातेदारी में से होकर आते जाते नही रहे। मात्र हम विपक्षीगण को तंग परेशान करने की नियत से अन्य विपक्षीगणो से दुरभिसन्धि कर उक्त प्रार्थता पत्र प्रस्तुत किया है, ताकि प्रार्थी हमारी कृषि भूमि से एक रास्ता ओर निकलवा सके जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त कथन करना कि उसके पास और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलबध नही है जबकि प्रार्थी पूर्व में ओर वर्तमान में भी आराजी नं. 310 में होकर अपनी अन्य कृषि भूमि में होकर कृषि भूमि में आता जाता रहा है। प्रार्थी के मन में लोभ लालच आ जाने से एवं हम विपक्षी को तंग परेशान करने की नियत से अन्य विपक्षीगणो से दुरभिसन्धि कर उक्त रास्ते की चाह की जा रही है जबकि उसे इसका कोई विधिक अधिकार नहीं है। जहाँ से होकर वह सदीप से आता जाता रहा है। हम विपक्षी द्वारा कभी भी प्रार्थी या अन्य से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नही किया। प्रार्थी के पास अन्य खातेदारान की तरह ही अन्य रास्ता उपलब्ध है तो प्रार्थी एक मात्र न्यायालय से मात्र सुगमता के आधार पर अन्य कृषक की भूमि में से रास्ता की मांग नही कर सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत् उन्हे ही रास्ता दिया जाना है, जिसके पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो जबकि प्रार्थी के पास ही आराजी नं. 310 किस्म रास्ता उपलब्ध है एवं प्रार्थी सदीप से इसी रास्ते से आ जा रहे है। ऐसे में मात्र सुगमता के आधार पर प्रार्थी को किसी अन्य कृषक की कृषि भूमि में से आने जाने का रास्ता नही दिया जा सकता। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही प्रार्थी को को[illegible] सन्तुलन ही है न ही प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि [illegible] वाली है, [illegible]कि प्रार्थी के पास पूर्व में ही एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता आराजी नं. 310 उपलबध है, जहाँ से होकर उसकी अन्य कृषि भूमि में होकर वह आते जाते रहे है। प्रार्थी मात्र सुगमता के आधार पर उक्त रास्ते की मांग कर रहा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी का हम विपक्षी की जमीन में से आने जाने का कोई रास्ता कभी भी विधमान ही नही था। इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण ही पैदा नही होता। प्रार्थी ने जानबूझकर मात्र हम विपक्षीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी कोई दाद पाने का अधिकारी नही होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं विपक्षी को अनावश्यक प्रतिरक्षा में उतारा गया जिसके लिये प्रार्थी से 50,000/– पचास हजार रूपये प्रतिरक्षा व्यय दिलाया जावे।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का रास्ता है। अंत में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है क्योंकि आराजी नं. 306 एवं आराजी नं. 4001/307 दोनो के अलग अलग खाता सं. है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ते बाबत् माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार नही बनाया है ऐसे में प्रार्थी उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में अकेला किस तरह काबिज है एवं शेष संयुक्त खातेदारान् को कौनसी भूमि बंटवाडे में दी गई। क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का विधिक बंटवाड़ा नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया कि अन्य खातेदार को कौनसी कृषि भूमि दी गई है और वे किस तरह से अपनी जमीन पर आ जा रहे है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा नही हो रही है प्रार्थी सभी फसलो को उगा रहा है, एवं सभी फसलो को घर ले जा रहा है। प्रार्थी या अन्य किसी का कभी भी हम विपक्षीगण की भूमि में से कोई रास्ता विधमान नही रहा। प्रार्थी जानबूझकर हम विपक्षी को तंग परेशान कर हम विपक्षीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि से रास्ता चाह रहा है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी एवं हम विपक्षीगण के अन्य पड़ौसी खातेदारान् के पास में ही आराजी नं. 310 किस्म रास्ता की भूमि में होकर सभी खातेदारान अपनी अपनी आराजी में सदीप से आराजी नं. 310 से होकर ही आते जाते रहे है एवं कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थी या अन्य कोई भी कभी भी हम विपक्षीगण की खातेदारी में से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

आते जाते नही रहे। मात्र हम विपक्षीगण को तंग परेशान करने की नियत से अन्य विपक्षीगणो से दुरभिसन्धि कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ताकि प्रार्थी हमारी कृषि भूमि से एक रास्ता ओर निकलवा सके जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन करना कि उसके पास और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है जबकि प्रार्थी पूर्व में ओर वर्तमान में भी आराजी नं. 310 में होकर अपनी अन्य कृषि भूमि में होकर परिशिष्ठ अ वाली कृषि भूमि में आता जाता रहा है। प्रार्थी के मन में लोभ लालच आ जाने से एवं हम विपक्षी को तंग परेशान करने की नियत से अन्य विपक्षीगणो से दुरभिसन्धि कर उक्त रास्ते की चाह की जा रही है जबकि उसे इसका कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी के आवागमन के लिये आराजी नं. 310 जो कि किस्म रास्ता है, से ही प्रार्थी अपनी अन्य कृषि भूमियों में होकर आता जाता रहा है, वर्तमान में दुरभिसन्धि कर प्रार्थी हमारी कृषि भूमि में से रास्ता चाहता है जो कि अविधिक है क्योंकि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जहाँ से होकर वह सदीप से आता जाता रहा है। एवं प्रार्थी या अन्य किसी से हम विपक्षी द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नही किया। यदि प्रार्थी या अन्य से कभी भी हम विपक्षी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो अवश्य ही पुलिस में रिपार्ट दर्ज कराई जाती। जब प्रार्थी के पास अन्य खातेदारान की तरह ही अन्य रास्ता उपलब्ध है, तो प्रार्थी एक मात्र न्यायालय से मात्र सुगमता के आधार पर अन्य कृषक की निजी कृषि भूमि में से रास्ते की मांग नही कर सकता। विधि की भी यहीं मंशा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत् उन्हे ही रास्ता दिया जाना है, जिसके पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो जबकि प्रार्थी के पास ही आराजी नं. 310 किस्म रास्ता उपलब्ध है एवं प्रार्थी सदीप से इसी रास्ते से आ जा रहे है। तो ऐसे में मात्र सुगमता के आधार पर प्रार्थी को किसी अन्य कृषक की निजी कृषि भूमि में से आने जाने का रास्ता नही दिया जा सकता न ही दिया जाना चाहिये। प्रार्थी मात्र सुगमता के आधार पर उक्त रास्ते की मांग कर रहा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी ने जानबूझकर मात्र हम विपक्षीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है। प्रार्थी किसी प्रकार की प्रार्थना पत्र में वर्णित कोई दाद पाने का अधिकारी नही होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं विपक्षी को अनावश्यक प्रतिरक्षा में उतारा गया जिसके लिये प्रार्थी से प्रतिरक्षा व्यय दिलाया जावे।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]5 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह [illegible]धान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 4002/307 रकबा 1.0684 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम आराजी नम्बर 305 रकबा 0.5342 हेक्टेयर किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी नम्बर 4002/307 के मध्य विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4001/307, 306 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 305 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म रास्ता से विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4001/307, 4002/307 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 306 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4001/307 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.1493 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर भूमि 15 फिट चौड़ाई के साथ रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया गया एवं प्रार्थी आराजी नम्बर 310 किस्म रास्ता से होकर सदीप से जा रहा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में वर्णित भूमि मे प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थी को भी उक्त भूमि के लिए रास्ता चाहिए। आराजी नम्बर 310 किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य दो आराजी 308, 309 स्थित है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 305 किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य भी दो आराजी 306,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punjab
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

4001/307 स्थित है। उक्त दोनो स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निकटतम रास्ता दिया जा सकता है। जो विपक्षीगण की भूमि से तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का मावली तहसील मावली के आराजी नम्बर 306 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4001/307 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.1493 हैक्टेयर भूमि में से 0.0486 हैक्टेयर अर्थात 486 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में 15 फिट चौड़ाई के साथ लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि रास्ते में प्रयुक्त भूमि का राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षीगण/खातेदारो को उनके हिस्से अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण/खातेदारो द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested